समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

I/विविध/छिंदवाड़ा/भू.रा./2018/0026

एक/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/4802 जिला – छिंदवाड़ा

राजेश कुमार इनवाती उम्र 47 वर्ष
पिता सव0 श्री दादूराम इनवाती
महाकाली फाटक के पास गढ़ा फाटक
जबलपुर .....आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि0 2-1-18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2.1.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर
द्वारा जिलाध्यक्ष, छिंदवाड़ा .....अनावेदक

आवेदन पत्र वास्ते संशोधन करने बावत अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी. सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गई थी जो आदेश दिनांक 13.12.17 से स्वीकार की गई है। (आदेश की प्रति संलग्न है)

2. यहकि, आवेदक द्वारा न्यायालय कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष मौजा ग्राम सिवनी प्राणमोती पटवारी हल्का नं. 23 स्थित भूमि खसरा नं. 125/3 रकवा 0.164 एवं खसरा नं. 136/2 रकवा 0.342 हे. कुल रकवा 0.506 हे. भूमि गैर–आदिवासी को विकय करने की अनुमति चाही गई थी, परंतु जिलाध्यक्ष के आदेश में त्रुटिवश खसरा नं. 125/3 के स्थान पर 125/2 उल्लेखित कर दिया गया है इस कारण इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में भी खसरा नं. 125/3 के स्थान पर खसरा नं. 125/2 अंकित हो गया है।

3. यहकि, उक्त त्रुटि के अतिरिक्त इस निगरानी प्रकरण के पैरा 1 की छटवीं लाइन में कुल रकवा 0.500 टंकण की त्रुटि से अंकित हो गया है जबकि कुल रकवा 0.506 हे. है। उक्त त्रुटि टंकण की त्रुटि है जिसे सुधार किया जाना न्यायसंगत है।

अतः निवेदन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह संशोधन आवेदन स्वीकार कर तदनुसार आदेश में संशोधन करने की कृपा करें।

स्थान – ग्वालियर
दिनांक – 02.01.2018

निवेदक
2-1-18
राजेश कुमार इनवाती – आवेदक
द्वारा अधिवक्ता

A. XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – एक/विविध/छिंदवाड़ा/भू.रा./2018/0026 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.1.18.	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील जादौन द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक ने कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी क्रमांक एक/निग0/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/4802 प्रस्तुत की थी जिसमें दिनांक 13–12–17 को आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा कहा गया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो आवेदन पेश किया गया था उस आवेदन में सर्वे नंबर 125/3 का स्पष्ट उल्लेख किया गया था किंतु अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में टंकण की त्रुटिवश 125/2 उल्लिखित हो गया है, इसी कारण इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 13–12–17 के पैरा 1 की पांचवी लाइन में सर्वे नं. 125/3 के स्थान पर 125/2 एवं छठवीं लाइन में कुल रकबा 0.506 के स्थान पर 0.500 अंकित हो गया है । उक्त त्रुटि टंकण की त्रुटि है, जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है । आवेदक द्वारा बताई गई त्रुटि प्रस्तुत अभिलेख (खसरा इत्यादि) से होती है । अतः न्यायहित में यह आदेश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 एक/निग0/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/4802 में पारित आदेश दिनांक 13–12–17 के पैरा 1 की पांचवी लाइन में सर्वे नं. 125/2 के स्थान पर 125/3 एवं छठवीं लाइन में कुल रकबा 0.500 हैक्टर के स्थान पर 0.506 हैक्टर पढ़ा जाये । यह आदेश उक्त आदेश का अंग रहेगा । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	